



केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं सेवाकर के आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CENTRAL EXCISE, CUSTOMS & SERVICE TAX



एन-5, टाउन सेंटर, सिडको, औरंगाबाद-431003

N-5, TOWN CENTRE, CIDCO, AURANGABAD-431003

वेबसाइट/WEBSITE : <http://www.centralexciseaurangabad.gov.in>

ई-मेल/E-mail : cexauran@excise.nic.in

फोन/Phone : +91-240-2484975 फैक्स/Fax : +91-240-2483303/2476627

जनसूचना

(संख्या 01/सीमा शुल्क/2017)

औरंगाबाद, दिनांक 21.04.2017

विषय :- वित्त विधेयक में संसाधित सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 से संबंधित वैधानिक परिवर्तन के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण के बारे में ।

केन्द्रीय उत्पाद तथा सीमा शुल्क बोर्ड (सी.बी.ई.सी.), नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त विषय के संदर्भ में दिनांक 31 मार्च 2017 को फा.सं. 450/10/2017-सीमाशुल्क.IV के तहत जारी परिपत्र संख्या 12/2017-सीमा शुल्क तथा अधिसूचना संख्या 26/2017-सीमाशुल्क(एन.टी.) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

सभी व्यापार संगठनों तथा चैम्बर्स आफ कॉमर्स से अनुरोध किया जाता है कि वे इस जनसूचना का उनके सदस्यों के बीच प्रचार करें।

संलग्न:- यथोपरि ।

ह./21.04.2017

(सी. एल. महर)

आयुक्त

फा.सं. VIII(सी.शु.)74/टी.ए./पी.एन./2016

औरंगाबाद, 21 अप्रैल, 2017

प्रति प्रेषित:

1. संयुक्त आयुक्त (मु.आ.का.), सी.शु., के.उ.शु. एवं सेवाकर, नागपुर जोन, नागपुर को उनके पत्र फा.सं. VIII(सी.शु.)17-139/सी.सी.ओ./एन.जेड./2016/2914, दिनांक 04.04.2017 के संदर्भ में ।
2. सहायक आयुक्त (सीमा शुल्क), आई.सी.डी., वालुज/मालीवाडा ।
3. सहायक आयुक्त (संगणक), सी.शु., के.उ.शु. एवं सेवाकर, मुख्यालय औरंगाबाद को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए ।
4. व्यापार संगठनों को (डाक-सूची के अनुसार)।
5. नोटिस बोर्ड ।